नेपाल का नागरिक होने पर पैरोल से इन्कार नहीं कर सकते

विधि संवाददाता, जागरण • शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल नेपाल का नागरिक होने के आधार पर किसी कैदी को पैरोल देने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बशर्ते उसका परिवार लंबे समय से भारत में स्थायी रूप से रह रहा हो। कोर्ट ने सुधारात्मक न्याय सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि पैरोल कैदी को समाज और परिवार से जुड़ाव बनाए रखने का मानवीय अवसर देती है।

कोर्ट निर्णय 1

न्यायाधीश राकेश कैंथला ने याचिकाकर्ता विक्की राणा की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन द्वारा सोलन जिलेर करने के आदेश को रद्द कर दिया और उसे चार सप्ताह (28 दिन) की पैरोल मंजूर कर ली। विक्की राणा को सोलन की अदालत ने वर्ष 2021 में डकैती के दौरान हत्या के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह करीब 12 साल से अधिक का समय जेल में काट चुका है। कैदी ने परिवार से मिलने के लिए पैरोल की अर्जी दी थी, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल की सिफारिश न होने पर सक्षम प्राधिकारी ने 23 जून 2026 को इसे खारिज कर दिया।

प्रशासन का तर्क था कि वह मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, इसलिए पैरोल मिलने पर वह नेपाल भाग सकता है। अदालत ने रिकार्ड और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पाया कि याचिकाकर्ता का परिवार 30 से 35 वर्ष से कालाढूंगी, नैनीताल (उत्तराखंड) में रह रहा है।

सरकारी सेवा में आने पर जन्मतिथि में सुधार की तय समयसीमा का हो पालन

हाई कोर्ट ने कहा, न्याय और सहानुभूति पर नहीं दी जानी चाहिए ढील

- फास्ट ट्रैक कोर्ट के जन्मतिथि बदलने के आदेश को किया रद
- सेवा में प्रवेश के केवल दो वर्ष के भीतर आवेदन करने का है नियम

विधि संवाददाता, जागरण • शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में आने के बाद जन्मतिथि सुधारने के लिए निर्धारित दो वर्ष की समयसीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए। इसमें न्याय या सहानुभूति के आधार पर कोई ढील नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया।

कोर्ट निर्णय 2

कोर्ट ने प्रथम अपीलीय अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट ऊना) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक शिक्षक की जन्मतिथि बदलने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता सुरेश कुमार ने वर्ष 2001 में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नान मेडिकल के रूप में सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट और सर्विस रिकार्ड में जन्मतिथि 30 अगस्त 1968 दर्ज थी। नौकरी लगने के बाद उन्होंने ज्योतिषी को कुंडली दिखाई, जिसने दावा किया कि उनकी सही जन्मतिथि एक सितंबर 1969 है। इसके बाद सुरेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग से नया जन्म प्रमाणपत्र बनवाया और मई 2003 में शिक्षा निदेशक के समक्ष जन्मतिथि सुधारने का आवेदन किया। हाई कोर्ट ने कहा, कोई भी कर्मचारी सेवा में प्रवेश के केवल दो वर्ष के भीतर ही जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। याचिकाकर्ता ने यह समयसीमा बीतने के बाद आवेदन किया था। कोर्ट ने कहा कि जब नियम स्पष्ट रूप से दो साल की अवधि तय करते हैं तो अदालतें अपनी तरफ से किसी भी तरह की सहानुभूति या तार्किक व्याख्या के आधार पर इस मियाद को बढ़ा या अनदेखा नहीं कर सकतीं।

ज्योतिषी के कहने या सही उम्र का पता न होने पर समयसीमा नहीं बदल सकते

कोर्ट ने कहा, किसी ज्योतिषी के कहने या यह दावा करने पर कि पहले सही उम्र का पता नहीं था, कानूनी समयसीमा को नहीं बदला जा सकता। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1985 में ही मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल गया था, जिसमें गलत जन्मतिथि दर्ज थी। कानूनन इसके खिलाफ तीन साल के भीतर (या वयस्क होने के तीन साल के भीतर) सिविल सूट दायर किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2004 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालती आदेश की मूल भावना के अनुरूप विचार करें शिक्षा सचिव

- कोर्ट ने लैब अटेंडेंट के वेतनमान संशोधन पर स्पष्ट की स्थिति
- सचिव ने आदेश जारी कर कर्मियों के दावे को किया था खारिज

विधि संवाददाता, जागरण • शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के लैब अटेंडेंट के वेतनमान संशोधन से जुड़े मामले में स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक अधिकारियों को कोर्ट के आदेशों का पालन उसकी मूल भावना के साथ करना चाहिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने इस संबंध में शिक्षा सचिव को याचिकाकर्ताओं के मामले पर दोबारा विचार करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट निर्णय 3

यह विवाद भगत राम और अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर निष्पादन याचिका से जुड़ा है। इससे पहले हाई कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिए थे कि लैब अटेंडेंट के वेतनमान में उचित संशोधन की मांगों पर पुनर्विचार किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि यदि अन्य श्रेणियों को वेतनमान देते समय 'मूल्य सूचकांक में वृद्धि' को एक पैमाना माना गया था तो वही लाभ इन कर्मचारियों को भी दिया जाए।

हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा सचिव ने आदेश जारी कर कर्मचारियों के दावे को खारिज कर दिया था। सचिव ने अपने आदेश में तर्क दिया था कि क्लर्क और लैब अटेंडेंट की श्रेणियों में कोई समानता नहीं है, इसलिए वे क्लर्कों के समान संशोधित वेतनमान के हकदार नहीं हैं। अदालत ने शिक्षा सचिव के इस रवैये पर असंतोष जताया।

हाई कोर्ट ने पाया कि शिक्षा सचिव ने आदेश जारी करते समय कोर्ट द्वारा तय किए मुख्य बिंदु (मूल्य सूचकांक का प्रभाव) पर ध्यान ही नहीं दिया। अदालत के स्पष्ट दिशानिर्देशों की अनदेखी की गई, जबकि इन फाइंडिंग्स को हाई कोर्ट को खंडपीठ भी सही ठहरा चुकी है। हाई कोर्ट ने माना कि अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं हुआ है। शिक्षा सचिव को आदेश दिया कि वे इस पूरे मामले की समीक्षा करें और आदेश की मूल भावना के तहत ही नया फैसला लें।

जवाब देने के लिए और समय मांगने पर सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना

- अदालती आदेशों और आश्वासनों का समय पर जवाब नहीं देने पर हिमाचल हाई कोर्ट सख्त
- तय समय में जवाब नहीं आने पर अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश

विधि संवाददाता, जागरण • शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालती आदेशों और आश्वासनों का समय पर जवाब न देने पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अवमानना याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगने पर राज्य सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह आदेश मनोज कुमार व अन्य बनाम राकेश कंवर मामले की सुनवाई के दौरान दिया।

कोर्ट निर्णय 4

याचिकाकर्ताओं मनोज कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में मुख्य याचिका दायर की थी। 30 अगस्त 2024 को अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिए थे कि वे याचिकाकर्ताओं के दावों पर ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार के फैसले के आलोक में छह सप्ताह के भीतर निर्णय लें। जब प्रशासनिक अधिकारियों ने इस समयसीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं किया तो याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। 10 जनवरी 2025 को अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि चार सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन किया जाएगा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता देते हुए मामला बंद कर दिया था कि यदि आदेश लागू नहीं होते हैं तो वे अवमानना मामले को दोबारा बहाल करवा सकते हैं।

प्रशासन द्वारा जनवरी 2025 में दिए वादे को पूरा न करने पर याचिकाकर्ताओं ने आवेदन दायर कर इस अवमानना केस को पुनर्जीवित करने की गुहार लगाई। सुनवाई के दौरान जब सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए फिर से अतिरिक्त समय की मांग की गई तो अदालत ने असंतोष जताया। हाई कोर्ट ने सरकार को मोहलत तो दे दी, लेकिन बार-बार वक्त मांगने पर 10,000 रुपये की कास्ट लगा दी। यह राशि चीफ जस्टिस डिजास्टर रिलीफ फंड, 2025 में जमा करवानी होगी। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। यदि तय समय में जवाब रिकार्ड पर नहीं आता है तो प्रतिवादी प्रशासनिक अधिकारियों को अगली तारीख पर खुद अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा।

डाक्टर को नियमित कर देने होंगे सभी परिणामी लाभ

- हाई कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर एकलपीठ का फैसला बरकरार रखा
- कोर्ट ने कहा, नियुक्ति सरकार ने की है तो उन्हें नियमितीकरण से वंचित नहीं कर सकते

विधि संवाददाता, जागरण • शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत तैनात डाक्टर के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि डाक्टरों की नियुक्ति राज्य सरकार ने की है तो उन्हें इस आधार पर नियमितीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनका वेतन केंद्र सरकार के एनएचएम फंड से आता था।

कोर्ट निर्णय 5

मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने सरकार की अपील को खारिज कर एकलपीठ के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें डा. अनुराधा को नियमित करने और सभी परिणामी लाभ देने के आदेश दिए थे।

राज्य सरकार ने दलील दी थी कि याचिकाकर्ता विशिष्ट अनुबंध कर्मचारी थीं और उनका वेतन राज्य के खजाने से नहीं बल्कि एनआरएचएम फंड से दिया जाता था, इसलिए वह नियमितीकरण नीति के दायरे में नहीं आतीं। हाई कोर्ट ने पाया कि डा. अनुराधा की प्रारंभिक नियुक्ति 14 सितंबर 2012 को बाकायदा काउंसिलिंग के बाद हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने राज्यपाल के आदेश से की थी। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति खुद राज्य ने की थी, इसलिए वह अब अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुबंध में वेतन एनआरएचएम फंड से देने की बात केवल एक आंतरिक बजटीय व्यवस्था थी।

बाद में उनका वेतन बढ़ाकर 40,000 करना और उन्हें एनआरएचएम कंसलटेंट का पदनाम देना भी केवल फंडिंग के उद्देश्य से किया गया था।

औद्योगिक क्षेत्र के लिए ली जमीन पर वर्गीकरण आधार पर भेदभाव गलत

- हाई कोर्ट ने सभी श्रेणी की जमीन के लिए 7,60,680 रुपये प्रति बीघा की दर की निर्धारित
- कार्पोरेशन को भूस्वामियों को ब्याज सहित पूरी बकाया राशि कोर्ट में जमा करवाने के आदेश

विधि संवाददाता, जागरण • शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े मामलों में स्पष्ट किया है कि जब किसी सार्वजनिक उद्देश्य या औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पूरी जमीन को एक एकल इकाई के रूप में अधिग्रहीत किया जाता है तो मुआवजे के निर्धारण में जमीन के पुराने वर्गीकरण का कोई महत्व नहीं रह जाता।

कोर्ट निर्णय 6

न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों पर यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कार्पोरेशन की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रेफरेंस कोर्ट के आदेश में संशोधन किया है। अदालत ने 10 प्रतिशत विकास शुल्क की कटौती के बाद सभी श्रेणी की जमीनों के लिए 7,60,680 रुपये प्रति बीघा की एकसमान दर निर्धारित की है। चूंकि यह मामला साल 2004 का है, इसलिए हाई कोर्ट ने कार्पोरेशन को हिदायत दी है कि वह प्रभावित भूस्वामियों को ब्याज सहित पूरी बकाया राशि तीन महीने के भीतर कोर्ट में जमा करवाए।

नालागढ़ तहसील के गांव बिलांवाली लवाना से जुड़ा है मामला

यह मामला सोलन जिले की नालागढ़ तहसील के गांव बिलांवाली लवाना से जुड़ा है। जनवरी 2004 में कार्पोरेशन ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए यहां भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी। इसके खिलाफ भूस्वामियों (ज्ञान चंद व अन्य) ने तेंडे एक्विजिशन कलेक्टर के फैसले को रेफरेंस कोर्ट (अतिरिक्त जिला जज सोलन) में चुनौती दी थी। रेफरेंस कोर्ट ने भूस्वामियों के हक में फैसला सुनाते हुए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 8,45,200 रुपये प्रति बीघा तय कर दिया था। इस बढ़े हुए मुआवजे और विकास शुल्क की कटौती न किए जाने के खिलाफ कार्पोरेशन ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।

हाई कोर्ट ने माना कि जब अधिग्रहीत भूमि का उपयोग कृषि के बजाय औद्योगिक या आवासीय कालोनी के विकास के लिए होना हो तो बंजर, चरागाह या उपजाऊ भूमि जैसी श्रेणियां अपना महत्व खो देती हैं।

सभी प्रभावितों को समान दर से मुआवजा मिलना चाहिए। निगम ने अधिग्रहीत भूमि के विकास पर 1.52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि बड़े कृषि क्षेत्रों को विकसित करने में खर्च आता है, इसलिए निर्धारित मूल्य पर 10 प्रतिशत की कटौती किया जाना न्यायसंगत है।

जनगणना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के तबादले पर रोक

विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े नियमों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी को आधिकारिक तौर पर जनगणना ड्यूटी पर तैनात किया है तो नियमों के तहत उसका तबादला नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने इस कानूनी आधार पर कांगड़ा जिला के एक शिक्षक के तबादला आदेश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। यह आदेश राजेंद्र सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में जारी किया है। याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला में कार्यरत हैं। विभाग ने उनका तबादला किसी अन्य स्टेशन पर कर दिया था। इस तबादले को चुनौती देते हुए दलील दी कि उसको पहले ही बाकायदा जनगणना ड्यूटी अलाट की जा चुकी है।

कोर्ट निर्णय 7

कसोल में आत्मरक्षा में चली थी गोली

- हाई कोर्ट ने पंजाब के तीन युवकों को दी जमानत, दो-दो स्थानीय जमानती और दो लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने के आदेश

विधि संवाददाता, जागरण • शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुल्लू जिले के कसोल (मणिकर्ण) में हुए गोलीकांड मामले में गिरफ्तार पंजाब के तीन आरोपितों को नियमित जमानत दे दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की परिस्थिति और वीडियो साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि गोली जानबूझकर मारने के इरादे से नहीं, बल्कि भीड़ के हमले से आत्मरक्षा में चली प्रतीत होती है। अदालत ने आरोपित मनप्रीत सिंह, अरमान रंधावा और तमन प्रीत की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें दो-दो स्थानीय जमानती और 2,00,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट निर्णय 8

अदालत ने कहा कि आरोपित करीब ढाई महीने से जेल में बंद हैं और मामले की जांच पूरी हो चुकी है। आरोपित पंजाब से हैं, इसलिए उनके भागने के खतरे को देखते हुए अदालत ने जमानत के साथ स्थानीय जमानतदारों की अनिवार्य शर्त जोड़ी है। इसके अलावा वे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकेंगे और हर सुनवाई पर कोर्ट में मौजूद रहेंगे।

यह मामला 31 मई 2026 को पुलिस थाना मणिकर्ण में दर्ज एफआइआर से जुड़ा है, जिसमें आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता प्रियांशु ठाकुर कार से मणिकर्ण की तरफ जा रहा था। रास्ते में पंजाब के उक्त तीन युवक सड़क के बीच चल रहे थे। प्रियांशु द्वारा हार्न बजाने पर उनके बीच बहस हुई। आरोप है कि युवकों ने प्रियांशु को कार के भीतर ही थप्पड़ मारा। इसके बाद आरोपित अपनी गाड़ी में कसोल की तरफ निकल गए। प्रियांशु ने अपने दोस्तों (युवराज व अन्य) को फोन कर गाड़ी का नंबर साझा किया। प्रियांशु के दोस्तों ने उक्त गाड़ी को कसोल के होटल ग्रीन वैली के बाहर खड़ा देखा। वहां उन्होंने गाड़ी में बैठे एक अन्य साथी (करणदीप) को पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर होटल के कमरों से मनप्रीत, अरमान और तमन प्रीत साथी को बचाने दौड़े।

हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट और वीडियो क्लिप्स के आधार पर पाया कि तीसरे विवाद की शुरुआत शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा की गई थी। वे खुद लाव-लश्कर के साथ आरोपितों के होटल पहुंचे और कार में बैठे युवक को पीटा।

हाथापाई और खुद को भीड़ से छुड़ाने की जद्दोजहद में मनप्रीत की पिस्टल से दो फायर हुए, जिनमें से एक गोली अचानक में युवराज के पैर में जा लगी।

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
मुख्यालय: ए-13, सेक्टर-1, नोएडा - 201301
टेलीफोन: 0120-2544004, फैक्स 0120-2543976, wc.iwai@nic.in
SAGARMALA
राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली बोलियों हेतु अनुरोध
"राष्ट्रीय जलमार्गों पर तैनाती हेतु 08 एफ्मिबियन ड्रेजर्स की खरीद" हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से ई-बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। ई-बोली जमा करने की अंतिम तिथि 26.09.2026 को अपराह्न 1500 बजे (भा.मा.स.) तक है।
निविदा दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक विवरण भा.अ.ज.प्रा. की वेबसाइट www.iwai.nic.in तथा ई-प्रापणीय पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर उपलब्ध है।
दिनांक: 12.08.2026 मुख्य अभियंता (एनडब्ल्यू-1), भा.अ.ज.प्रा.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)
प्रमोशन ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स (प्रयास)
वेबसाइट: ncert-nic-in
आवेदन आमंत्रण
विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग (DESM), NCERT भारत में विज्ञान और गणित शिक्षा के विकास और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी दिशा में, DESM प्रयास योजना के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जो विद्यालयी शिक्षार्थियों में अनुसंधान कौशल और वैज्ञानिक अन्वेषण को प्रोत्साहित करने की एक अनूठी पहल है। यह कार्यक्रम कक्षा VIII से XI तक के शिक्षार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित (स्टीम) के क्षेत्रों में, शिक्षकों और उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में, शोध करने का अवसर प्रदान करता है।
कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ:
✓ ₹50,000 प्रत्येक अनुदान प्रति परियोजना
✓ HEI विशेषज्ञों द्वारा मेंटरशिप
✓ स्टीम अनुसंधान के माध्यम से वास्तविक समस्याओं का समाधान
✓ एक वर्ष का अनुसंधान कार्यक्रम
आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अगस्त, 2026
परियोजना प्रारंभ होने की तिथि: 30 सितंबर, 2026
कार्यक्रम के लिए विवरण एवं लिंक:
https://www.ncert-nic-in/desm/pdf/DESM PRAYAAS&2026&27-pdf
युवा प्रतिभाओं को नवाचार और खोज के लिए सशक्त बनाना!

Atal Medical & Research University, H.P.
(A State Govt. University)
(SLBS Govt. Medical College & Hospital Campus, Ner Chowk, Mandi, H.P.)
www.amruhp.ac.in, Phone No. 01905-243967, WhatsApp No. 94591-49364
NOTICE
Counseling and Admission for MBBS/BDS Course For Academic Session 2026-2027
Online applications are invited from interested candidates who have qualified NEET-UG-2026, for counseling and admission in **MBBS/BDS** course for academic year **2026-27**, in Govt./ Private Medical/Dental colleges situated in the state of Himachal Pradesh. The Prospectus and online application form is available on the website of AMRU. The last date for receipt of 1st round online applications is **17.08.2026 upto 11:55 PM**. For details, please visit University website www.amruhp.ac.in. For any difficulty in filling the form, send a message on **WhatsApp No. 9459139364** and email id **counselling.amruhp@gmail.com.**
(Dr. Rajesh Kumar)
Controller of Examinations-cum-Member Secretary,
Prospectus Review Committee & Common/
Centralized Counseling Committee (MBBS/BDS)

200 वर्ष पुराने पेड़ के चारों ओर निर्माण पर विभाग से मांगा जवाब

- एनजीटी ने प्रधान सचिव सहित प्रतिवादियों को स्थिति स्पष्ट करने के दिए निर्देश, निर्माण की अनुमति पर भी मांगा स्पष्टीकरण

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : हिमाचल के संरक्षित वन क्षेत्र में करीब 200 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ के चारों ओर बनाए सुरक्षात्मक चबूतरे के मामले में एनजीटी ने प्रदेश वन विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। यह मामला परमजीत मनकोटिया बनाम हिमाचल सरकार एवं अन्य के रूप में एनजीटी के समक्ष विचाराधीन है। 11 अगस्त को हुई सुनवाई में एनजीटी की प्रधान पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डा. अफरोज अहमद ने संबंधित अधिकारियों की ओर से दाखिल जवाब पर विचार किया। आवेदक ने संरक्षित वन क्षेत्र में स्थित प्राचीन बरगद के पेड़ के चारों ओर कथित रूप से आवश्यक अनुमति के बिना सुरक्षात्मक चबूतरा बनाए जाने पर आपत्ति जताई है।

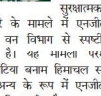

एनजीटी के समक्ष अधिकारियों ने बताया कि बरगद के चारों ओर केवल छोटा सुरक्षात्मक बैठने का चबूतरा बनाया था। इसका उद्देश्य करीब 200 वर्ष पुराने पेड़ की सुरक्षा करना, उसकी जड़ों के आसपास मिट्टी के कटाव को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। निर्माण कार्य अब रोक दिया है। एनजीटी ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट करने को कहा है कि पेड़ के चारों ओर चबूतरे का निर्माण किस प्रक्रिया के तहत किया और इसके लिए किस सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली थी। एनजीटी ने वन विभाग के प्रधान सचिव सहित संबंधित प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल कर निर्माण की अनुमति और पूरी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

याचिकाकर्ता कांगड़ा जिले की तहसील जवाली के गांव सिद्धपुरघाड़ का निवासी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पेड़ के चारों ओर किए जा रहे निर्माण से इसकी जड़ प्रणाली वाले क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है।

SBI
भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–।।, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली–110001, ईमेल : sbi.50950@sbi.co.in, फोन : 011-43179557, 9012141888
ई–नीलामी बिक्री सूचना
परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस
आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला, गारंटर और प्रत्याभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूतदाता, से प्रतिभूत लेनदार भारतीय स्टेट बैंक की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

कर्जदार / गारंटर(रों) का नाम पता/पते सहित	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) / वृद्धि राशि	मांग सूचना की तारीख एवं बकाया राशि	सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय एवं प्राधिकृत अधिकारी का नाम	बोली आवेदन पत्र, केवाईसी दस्तावेजें, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की तिथि व समय और धरोहर राशि BAANKNET के माध्यम से	ई–नीलामी की तिथि / समय 10 मिनट प्रत्येक के अतीमित स्वतः विस्तार सहित
मैसर्स गोपिश फार्मा लिमिटेड, (i)रोपड़ रोड, डेरोबाल सैयिर के पास, गांव बेहरामपुर, तहसील–नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश –174101 (ii) एच–1455, सेक्टर–एच, औरस्काईआईडीसी, नरेला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली – 110040 श्री.राजीव गोयल (निदेशक एवं गारंटर) पुत्र श्री.रवि प्रकाश गोयल, (i) ए–96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 (ii) मकान नंबर 264, कोहाट एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 (iii) J–50,J–ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली–110052 श्रीमती संतोष गोयल (गारंटर) पत्नी श्री. रवि प्रकाश गोयल, (i)ए–96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 (ii) मकान नंबर 264, दूसरी मंजिल, कोहाट एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 श्री.रवि प्रकाश गोयल (गारंटर) पुत्र श्री.हरि देव गोयल, (i) ए–96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 (ii) मकान नंबर 264, दूसरी मंजिल, कोहाट एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली–110034(iii) I–50,J–ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली–110052	फैक्ट्री भूमि और भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 6 बीघा, 5 बिस्वा, खतौनी सं. 2/14, खसरा सं. 330/19 किताप, गांव–बेहरामपुर हदबस्त 104, परगना और तहसील नालागढ़, जिला– सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स गोपीश फार्मा लिमिटेड के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) ज्ञात भारों का विवरण: कुछ भी नहीं	रु.3,15,00,000/- रु.31,50,000/- रु.2.00 लाख	रु. 42,73,25,033/- दिनांक 31.07.2026 तक और संविदात्मक दरों पर भविष्य के ब्याज सहित सभी आकस्मिक व्यय, लागत प्रभार आदि	03-09-2026 दोपहर 12.00 बजे से अपरांह 02.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी: श्री बैलराम सिंह मुख्य प्रबंधक मो. 9001896305	https://BAANKNET.com देखें रिजीयुशन ऐजेंट: श्री रघनीश कुमार मो. नं. 8130099647	07-09-2026 दोपहर 12.00 बजे से अपरांह 04.00 बजे तक 10 मिनट प्रत्येक के अतीमित स्वतः विस्तार सहित

M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET) द्वारा प्रदान किए गए ई–नीलामी साइट https://BAANKNET.com पर बोलीकर्ताओं द्वारा ईएमडी को अपने स्वयं के बटुए(wallet) में हस्तांतरित / जमा करना होगा।
नियम व शर्तें– ई–नीलामी "जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी।
ई–नीलामी https://BAANKNET.com लिंक के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, बोलीदाताओं को ई–नीलामी सेवा प्रदाता M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET) की सेवा शर्तों का अनुपालन करना होगा।
इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET) के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते है। M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET) के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।
तथापि इच्छुक बोलीदाता(ओं) को, ऊपरोक्त, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। इस संदर्भ में ई–नीलामी विज्ञापन, बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिभूति/पर्यवसान निर्धि नहीं करता है और न ही कोई प्रभारबद्धता/प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा।
सफल बोलीदाता को **धरोहर राशि जमा (ईएमडी)** बिक्री प्राप्ति के भाग के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। **सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले अदा की गई ईएमडी समायोजित करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के बाद अर्थात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करनी होगी** तथा शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता का सम्पत्ति/राशि के